राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2023/2012/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन संभाग–द्वितीय, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बंसल श्री नारायण एंटरप्राईजेज,
मानपुर माचेड़ी, जिला–जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज,अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 113/अपील–।।/ आरवैट/2011–12/ जयपुर में पारित आदेश दिनांक 08.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2011 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 75(8) के अन्तर्गत कायम मांग राशि रू0 8760/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 30–12–10 को प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण किये जाने एवं वक्त सर्वेक्षण अभिग्रहित रिकॉर्ड की जांच पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा साबुत मूंगफली की खरीद की जाकर उसकी प्रोसेसिंग करके छिलका व दाना अलग–अलग करके इसका राज्य में व राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये राईटिंग पैड व बैंक स्टेटमेंट को कर सशक्त अधिकरी द्वारा अभिग्रहित किया गया। अभिग्रहित रिकार्ड का लेखा–पुस्तकों से सत्यापन करने हेतु व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में अभिग्रहित रिकॉर्ड की जांच व अंकेक्षण किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी जिस पर मूंगफली दाना 1153 किलोग्राम कीमतन रूपये 43,814/– का स्टॉक घोषित स्टॉक से अधिक का पाया गया। इस कारण सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति रूपये 8,760/– प्रत्यर्थी–व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 08.05.2012 द्वारा प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

लगातार.....2

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उचन्त बिक्री किया जाना मानकर जो शास्ति आरोपित की गयी है, पूर्ण रूप से निराधार एवं तथ्यों के विपरीत है। व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 30.12.10 को किया गया था तथा व्यवसाय स्थल पर बड़ी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ था। सशक्त अधिकारी द्वारा केवल अनुमान के आधार पर माल की मात्रा 9577 किलो ग्राम मान ली गयी। वास्तव में स्टॉक में कोई अंतर नही था। सशक्त अधिकारी के लिए सर्वेक्षण पूरा होने की अवधि तक कुल स्टॉक का वजन करना संभव नहीं था। सशक्त अधिकारी द्वारा अनुमान के आधार पर स्टॉक में प्रमणित किया गया है। अतः उन्होने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया । सशक्त अधिकारी द्वारा, वक्त सर्वेक्षण पाये गये मूंगफली साबुत व मूंगफली के दानों का भौतिक सत्यापन किया जाना लिखा है जो औसत अनुमान के आधार पर किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में लिखा है कि प्रासेसिंग कार्य चलता है तो कच्चा माल रहता है। भौतिक सत्यापन सही रूप में नही करके सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमान के आधार पर करना बताया गया है, जिससे स्टाक में अंतर आना स्वाभाविक है। अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नही है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है व राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष